संरक्षा शाखा
सोलापुर मंडल

Safety Branch
Solapur Division

संरक्षा परिपत्र
Safety Circular
24/2018-19

विषयः--मिड सेक्शन में असहाय गाडियों की सुरक्षा –संबंधित महत्वपूर्ण मदों का उध्दरण ।

Sub:- Protection of trains stranded in mid-section – Extracts of relevant important item.

दिनांक/Date : 25.03.2019

मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
संरक्षा शाखा सोलापुर ,

संख्या 10/एसएफटी/सोला :3

दिनांक :25.03.2019

संरक्षा परिपत्र क्र.**24** 19-2018/

सभी संबंधित - सोलापुर मंडल

विषय :- मिड सेक्शन में असहाय गाड़ियों की सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण मदों का उध्दरण। -

****

निम्नलिखित मामलो में रखा की जानी चाहिए :-

1) स्टेशनों के बीच रुकी हुई गाड़ियों की सुरक्षा (साधारण नियम - 6.03)

2) खराब इंजन, इंजन के लिए सहायता (सहायक नियम 6.05-2)

3) गाड़ी विभाजन (साधारण नियम 6.08)

इकहरी लाइन के मामले में सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है । (साधारण नियम - 6.03)

(I) इकहरी लाइन सेक्शन पर अथवा दोहरी लाइन सेक्शन पर या बहुलाइन सेक्शन पर जब वह अस्थायी रुप से इकहरी लाइन खण्ड के रुप में संचलित हो :-

(क) गाड़ी की रक्षा के लिए या तो गार्ड स्वयं पीछे जाएगा या किसी सक्षम व्यक्ति को पीछे भेजेगा यदि गार्ड ने गाड़ी की रक्षा के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को प्रति नियुक्त किया है तो वह परामर्श के लिए लोको पायलट के पास जाएगा,

(ख) गाड़ी की रक्षा के लिए पीछे जाने वाला व्यक्ति किसी भी आती हुई गाड़ी को रोकने के लिए लगातार खतरे का हाथ सिगनल दिखाएगा और अपने खतरा हाथ सिगनल के अतिरिक्त अपने साथ लाए गए पटाखे नीचे लिखे अनुसार उस लाइन पर रखेगा, जिस पर अवरोध हुआ है अर्थात, उसके जाने की दिशा में एक पटाखा अपनी गाड़ी से 600 मीटर दूरी पर और तीन पटाखे दस - दस मीटर के अन्तर पर रखे जाएंगे, जो किसी भी दशा में गाड़ी से 1200 मीटर दूरी से कम न हों या ऐसी दूरी पर हों, हो विशेष अनुदेशों द्वारा नियत की गई हो,

(ग) यदि कोई गाड़ी आती हुई दिखाई दे तो गाड़ी की रक्षा के लिए जाने वाला व्यक्ति तुरंत एक पटाखा असक्षम गाड़ी से यथासम्भव दूरी पर रखेगा और लगातार खतरा हाथ सिगनल आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए दिखाता रहेगा। यदि गाड़ी के रक्षा के लिए जाने वाले व्यक्ति ने 600 मीटर दूरी पर पटाखा रख दिया है और वह 1200 मीटर दूरी पर जाने की स्थिति में न हो तो तुरन्त ही दुघटनाग्रस्त गाड़ी से यथासम्भव दूरी पर दुबारा एक पटाखा रखे।

(II) दोहरी लाइन के मामले में सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है । (साधारण नियम - 6.03)

(क) जब भी लोको पायलट को पता चले कि उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है तो उसे तुरंत हेड लाइट बुझाकर फ्लैशर लाइट जला देनी चाहिए, तत्पश्चात् उसे स्वयं या सहायक लोको पायलट या किसी सक्षम व्यक्तिको बगल वाली लाइन पर आगे की ओर से उपरोक्त खण्ड (i) की रीति के अनुसार बचाव हेतु भेज देना चाहिए,

गार्ड तुरंत पहले लोको पायलट की सहायता हेतु एवं उपखण्ड (i) में दी गई रीति के अनुसार बगलवाली लाइन के बचाव की सुनिश्चितता हेतु आगे की ओर जाएगा और यदि कोई सक्षम व्यक्ति उपलब्ध हे तो उसे उपखण्ड (i) में दी गई रीति के अनुसार गाड़ी का पीछे से बचाव करने हेतु भेजेगा।

दुर्घटना के लेखें पर या किसी कारणवश ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी रुक जाने पर, जो कि तुरंत प्रकट नहीं होता है और लोको पायलट को पता चलता है कि उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ सकेगी (सहायक नियम 6.03-1 शुध्दि पत्र संख्या 10 की मद संख्या 22)

जब कोई गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में किसी दुर्घटना या अन्य किसी कारण से रुक जाय जिसका तत्काल कारण स्पष्ट न हो और लोको पायलट पाता है कि उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती तो वह तुरंत इंजन की हेडलाइट बंद कर विरुध्द दिशा की गाडी के चालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने इंजन के फ्लैशर लाइट यदि उपलब्ध हो तो तत्काल ऑन करेगा तथा गाड़ी को आगे बढ़ाने की असमर्थता गार्ड को सूचित करने के लिए चार छोटी सीटी बार बार बजाएगा तथा दिन में लाल झंडी तथा रात में लाल बत्ती दिखाएगा। लोको पायलट की सीटी सुनकर गार्ड लाल हाथ सिगनल ऊपर नीचे करके इसकी प्राप्ति की स्वीकृति देगा। लोको पायलट गार्ड के सिगनल की प्राप्ति स्वीकृति लंबी सीटी बजा कर देगा । इसके बाद गार्ड दिन में ब्रेकयान के साइड लैम्प ब्रेकेट में या दरवाजे के हत्थे में या ऐसे स्थान पर लाल झंडी लगाएगा जिसे लोको पायलट द्वारा आसानी से देखा जा सके तथा रात में अपने ब्रेकयान के नाइट लैम्प को जहां मुहैया कराई गई है, लोको पायलट की ओर रिवर्स करेगा। गार्ड यह सुनिश्चित करेगा कि दिन में टेल लैम्प अपने स्थान पर तथा साइड लैम्प जहां मुहैया कराए गए है, प्रखरता से जल रहे है।

लोको पायलट भी सहायक नियम 4.50-1(क)-16 के अनुसार बार बार सीटी बजाएगा ताकि विरुध्द दिशा से आनेवाली गाड़ी के लोको पायलट का ध्यान आकर्षित कर सके। यदि गाड़ी दोहरी या बहुविध लाइनों के खंड में रात के दौरान या भारी तथा कुहांसे के मौसम में जब दृश्यता स्पष्ट न हो के कारण खंडी हो तो लोको पायलट तथा गार्ड खतरा हाथ सिगनल प्रदर्शित करेगा ताकि आने वाली गाडी के लोको पायलट को स्पष्ट रुप से दिखा सके। इसके बाद लोको पायलट तथा गार्ड निकटस्थ लाइन तथा गाड़ी के बचाव की कार्रवाई सामान्य नियम 6.03 के अनुसार करेंगे।

आने वाली गाड़ी का लोको पायलट ज्यों ही फ्लैशर लाइट या खतरा हाथ सिगनल देखेगा वह तुरंत ही अवरोध से पहले गाड़ी को रोकने का प्रयास करेगा। यह क्रिया उसी प्रकार करेगा जैसे कि उसने खतरे का हाथ सिगनल देखा हो या दूसरे इंजन की खतरा सीटी कूट को सुना हो, या पटाखा सिगनल फूटा हो और प्रभावित गाड़ी की वह सभी संभव सहायता करेगा।

साधारण नियम6.0 **5** 2 - **खराब इंजन को मदद पहुंचाना :-**

यदि किसी सवारी गाड़ी का इंजन सेक्शन में खराब हो जाये, तो गाड़ी को अलग अलग भागों में नहीं बांटना चाहिए। सहायक नियम 6.03-1 के अनुसार गाड़ी का बचाव करने के पश्चात एक सहायक इंजन अवश्य मंगवाना चाहिए । इंजन के साथ जुडी हुई गाड़ी को तब तक रोके रखना चाहिए जब तक सहायता न आ जाये । इसके बाद सहायक इंजन को जोड़कर गाडी को अगले ब्लाक स्टेशन तक ले जाना चाहिए, जहां लोको पायलट निर्णय करेगा कि क्या वह लोड को सिर्फ अपने इंजन से आगे ले जा सकेगा या सहायक इंजन को जोड कर दो इंजनों को साथ आगे ले जायेगा।

साधारण नियम6.0 **8** - गाड़ी का विभाजन -:

गाड़ी के पिछले भाग के रुकते ही गाड़ी का गार्ड, आगे और पिछे दोनों ही ओर नियम 6.03 के अनुसार गाडी के उस भाग की रक्षा करेगा और हैंड ब्रेकों को लगाकर तथा यदि आवश्यक है और विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है, गुट्टी रोक (स्प्रेग) तथा जंजीरों के प्रयोग से वाहनों को स्थिर स्थिति में रखने के लिए कार्य करेगा।

(सुरेश कुमार एन टी)

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारीसोलापुर/